सं. 36039/1/2019-स्था.(आरक्षण)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: जनवरी 31, 2019

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय : भारत सरकार में सिविल पदों एवं सेवाओं में सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण।

इस विभाग के दिनांक 19.01.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुक्रम में भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विधिक कार्य विभाग के परामर्श से निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

2. आरक्षण की मात्रा

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के व्यक्ति भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्राप्त करेंगे।

3. आरक्षण से छूट

3.1 निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करने वाले "वैज्ञानिक और तकनीकी" पदों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी आरक्षण संबंधी आदेशों के दायरे से छूट प्रदान की जा सकती है:

i. ये पद संबंधित सेवा के समूह 'क' में निम्नतम ग्रेड से उच्च ग्रेडों में होने चाहिए।
ii. इन पदों को मंत्रिमंडल सचिवालय (का.ज्ञा.सं. 85/11/सीएफ-61(1) के दिनांक 28.12.1961) के अनुसार "वैज्ञानिक या तकनीकी" पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान अथवा विशुद्ध विज्ञान अथवा अनुप्रयुक्त विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी में योग्यताएं विहित की जाती हों और इन पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में इस ज्ञान का उपयोग करना हो।
iii. यह पद 'अनुसंधान संचालित करने' अथवा 'अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन एवं निर्देशन हेतु' होने चाहिए।

3.2 उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किन्हीं पदों को आरक्षण की स्कीम के दायरे से छूट प्रदान करने से पहले संबंधित मंत्री के आदेशों को पहले प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

4. आय एवं सम्पत्ति मानदंड

4.1 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए व्यक्ति जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय **8.00 लाख रूपए (आठ लाख रूपए मात्र)** से कम है उसे आरक्षण के लाभ हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के रूप में पहचाना जाएगा। आय में आवेदन के

वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष हेतु सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति आदि से होने वाली आय को शामिल किया जाएगा।

इसके अलावा निम्नलिखित परिसम्पत्तियों में से किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक अथवा स्वामित्व रखने वाले परिवार के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रूप में चिह्नित नहीं किया जाएगा भले ही उनकी परिवारिक आय कुछ भी हो :

i. 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय प्लॉट;

4.2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।

4.3 इस प्रयोजनार्थ **"परिवार"** शब्द में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और उसका/उसकी पति-पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

5. आय/सम्पत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी तथा प्रमाण-पत्र का सत्यापन :

5.1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। **अनुलग्नक-I** में यथाप्रदत्त विहित प्रपत्र में निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र को ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित होने के उम्मीदवार के दावे के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

i. जिलाधीश/अपर जिलाधीश/कलक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंड्री मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/अधिशासी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त अपर सहायक आयुक्त
ii. चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
iii. तहसीलदार रैंक का राजस्व अधिकारी तथा
iv. उस क्षेत्र का उप-मंडलीय अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा उसका परिवार सामान्यत: निवास करता है।

5.2 जो अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करता है, वह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन करने के बाद सावधानीपूर्वक सभी संगत दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी करेगा।

5.3 उन मामलों को छोड़कर जहां वह तारीख अन्यथा निर्धारित हो, उम्मीदवार द्वारा आय एवं परिसंपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख को ही उस पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख मानी जाए।

5.4 नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव देते समय निम्नलिखित खंड शामिल करने चाहिए-

"नियुक्ति अंतरिम है और समुचित माध्यम से आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र के अध्यधीन है एवं यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का उम्मीदवार का दावा झूठा/जाली है तो बिना कोई कारण बताए और

आगे झूठे/जाली प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन की जा सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।

नियुक्ति प्राधिकारी को उम्मीदवार द्वारा उसके प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत उसके आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र की सत्यता का सत्यापन करना चाहिए।

5.5 उपरोक्त संदर्भित अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि किसी बेईमान व्यक्ति द्वारा झूठे दावे के आधार पर रोजगार हासिल करना संभव न हो सके और यदि कोई व्यक्ति ऐसे झूठे दावे के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करता है तो नियुक्ति प्रस्ताव में समाहित शर्तों का सहारा लेकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

6 आरक्षण प्रभावी - रोस्टर का अनुरक्षण

6.1 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पद आधारित आरक्षण रोस्टर के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 2 जुलाई, 1997 को का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था.(आर.) परिचालित किया था। पद आधारित आरक्षण रोस्टर तैयार एवं प्रचालित करने के लिए सामान्य सिद्धांत उक्त का.ज्ञा. में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ही होंगे।

6.2 प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ अंतर्वेशित करने के लिए **अनुबंध II, III, IV एवं V** में दिए गए प्रपत्र, जैसा मामला हो, के अनुसार सीधी भर्ती के लिए समूहवार पद आधारित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को पुन: तैयार किया जाएगा। रोस्टर बिन्दु का निर्धारण करते समय यदि ईडब्ल्यूएस का रोस्टर बिन्दु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के रोस्टर बिन्दु के साथ आता है तो अगले उपलब्ध अनारक्षित रोस्टर बिन्दु को ईडब्ल्यूएस को आबंटित किया गया है एवं साथ ही "स्क्वीजिंग" के सिद्धांत का भी ध्यान रखा गया है। रोस्टर तैयार करते समय, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण रोस्टर के अंतिम बिन्दु को उसी प्रकार से 'स्क्वीज" करेंगे ताकि निर्धारित 10% आरक्षण को पूरा किया जा सके।

6.3 जब किसी भर्ती वर्ष में ईडब्ल्यूएस के लिए चिह्नित किसी रिक्ति को इनसे संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में न भरा जा सके, तो उस विशेष भर्ती वर्ष में ऐसी रिक्तियों को बैकलॉग के रूप में अगले भर्ती वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

6.4 ईडब्ल्यूएस से संबंधित ऐसा व्यक्ति, जिनका बैंचमार्क विकलांगता/पूर्व सैनिक कोटा पर चयन होता है, को ईडब्ल्यूएस के लिए चिह्नित रोस्टर बिन्दुओं के लिए ही रखा जाएगा।

7. अनारक्षित रिक्तियों के लिए समायोजन

ईडब्ल्यूएस से संबंधित किसी व्यक्ति को अनारक्षित रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित व्यक्ति जिनका योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयन होता है, आरक्षण के आधार पर नहीं, को आरक्षण के कोटा के लिए नहीं गिना जाएगा।

8. ईडब्ल्यूएस के प्रतिनिधित्व के संबंध में पाक्षिक/वार्षिक रिपोर्ट

मंत्रालय/विभाग, **अनुबंध-VI** के प्रपत्र के अनुसार दिनांक 15.02.2019 से आरंभ कर अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय सहित एकल समेकित पाक्षिक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

दिनांक 01.01.2020 से मंत्रालय/विभाग केंद्र सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के प्रतिनिधित्व के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी को यूआरएल अर्थात् www.rrcps.nic.in पर आंकड़े अपलोड करेंगे। सभी

मंत्रालयों/विभागों को यूआरएल के प्रचालन से संबंधित दिशानिर्देशों सहित पहले ही संबंधित यूजर कोड एवं पासवर्ड प्रदान किए जा चुके हैं।

9. **सरकारी अधिष्ठान (संस्था) द्वारा शिकायतों के रजिस्टर का रख-रखावः**

9.1 प्रत्येक सरकारी अधिष्ठान, विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

9.2 कोई भी व्यक्ति जो किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (ईडब्ल्यूएस) के विरूद्ध रोजगार में भेदभाव से संबंधित किसी मामले से असंतुष्ट हो; संबंधित सरकारी अधिष्ठान में शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत कर सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी के नाम, पदनाम और संपर्क सूत्र संबंधित अधिष्ठान की वेबसाइट में और कार्यालय में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

10. **संपर्क अधिकारीः**

मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे।

11. आरक्षण की उपर्युक्त स्कीम 01.02.2019 को या इसके पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली सभी सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध में लागू होगी।

12. सभी मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त अनुदेशों को उनके नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी कठिनाई के मामले में, संबंधित प्राधिकारी अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से परामर्श कर सकते हैं।

संलग्नकः यथोपरि

(जी.श्रीनिवासन)
निदेशक
फोन.न. 011-23093074

सेवा में,

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
(ii) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
(iii) लोक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
(iv) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) रेल भवन, दिल्ली।
(v) भारतीय उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय /प्रधानमंत्री कार्यालय/नीति आयोग
(vi) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
(vii) कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्पैलक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
(viii) सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
(x) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।

(xi) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।

(xii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय,10, बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002.

(xiii) सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

(xiv) निदेशक, आईएसटीएम, पुराना जेएनयू कैम्पस, ओल्फ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110067।

(xv) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग और मंत्रालय के सभी संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय

प्रतिलिपिः निदेशक, एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी संबंधितों के सूचनार्थ इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट (नया क्या है) पर तत्काल अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक- I

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं. .... दिनांक ....

वर्ष .... के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... ग्राम/मोहल्ला .... डाकघर .... जिला .... राज्य .... के स्थायी निवासी हैं और जिनका नीचे चिपकाया गया फोटोग्राफ अभिप्रमाणित किया गया है ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं और वित्तीय वर्ष .... में इनकी कुल वार्षिक आय* रुपए 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है। इनका परिवार** निम्नलिखित परिसंपत्तियों में से कोई भी संपत्ति धारण नहीं करता है***।

I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि

II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक वर्ग फीट का आवासीय फ्लैट

III. अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लॉट

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... का संबंध .... जाति से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

मुहर सहित हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

आवेदक का पासपोर्ट आकार का अद्यतन फोटोग्राफ

*टिप्पणी 1:. आय के रूप में सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, इत्यादि सभी शामिल है।

**टिप्पणी 2:. इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' का अर्थ आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति सहित उसका/उसकी पिता-माता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

***टिप्पणी 3:. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दर्जे का निर्धारण करने के लिए भूमि अथवा सम्पत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/शहरों में धारित सम्पत्ति को जोड़ा जाएगा।

अनुलग्नक- II

सीधी भर्ती हेतु

खुली प्रतियोगिता के इतर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती हेतु पदों के संदर्भ में आरक्षण के लिए मॉडल रोस्टर

पद की क्र.सं.	हकदारी का हिस्सा				श्रेणी जिसके लिए पदों को निर्धारित करना चाहिए।
	अजा @15%	अजजा @7.5%	अपिव @27%	ईडब्ल्यूएस @10%	
1	0.15	0.08	0.27	0.10	अनारक्षित
2	0.30	0.15	0.54	0.20	अनारक्षित
3	0.45	0.23	0.81	0.30	अनारक्षित
4	0.60	0.30	1.08	0.40	अन्य पिछड़ा वर्ग-1
5	0.75	0.38	1.35	0.50	अनारक्षित
6	0.90	0.45	1.62	0.60	अनारक्षित
7	1.05	0.53	1.89	0.70	अनुसूचित जाति-1
8	1.20	0.60	2.16	0.80	अन्य पिछड़ा वर्ग-2
9	1.35	0.68	2.43	0.90	अनारक्षित
10	1.50	0.75	2.70	1.00	**ईडब्ल्यूएस-1**
11	1.65	0.83	2.97	1.10	अनारक्षित
12	1.80	0.90	3.24	1.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-3
13	1.95	0.98	3.51	1.30	अनारक्षित
14	2.10	1.05	3.78	1.40	अनुसूचित जनजाति-1
15	2.25	1.13	4.05	1.50	अनुसूचित जाति-2
16	2.40	1.20	4.32	1.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-4
17	2.55	1.28	4.59	1.70	अनारक्षित
18	2.70	1.35	4.86	1.80	अनारक्षित
19	2.85	1.43	5.13	1.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-5
20	3.00	1.50	5.40	2.00	अनुसूचित जाति-3
21	3.15	1.58	5.67	2.10	**ईडब्ल्यूएस-2**
22	3.30	1.65	5.94	2.20	अनारक्षित
23	3.45	1.73	6.21	2.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-6
24	3.60	1.80	6.48	2.40	अनारक्षित
25	3.75	1.88	6.75	2.50	अनारक्षित
26	3.90	1.95	7.02	2.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-7
27	4.05	2.03	7.29	2.70	अनुसूचित जाति-4
28	4.20	2.10	7.56	2.80	अनुसूचित जनजाति-2

29	4.35	2.18	7.83	2.90	अनारक्षित
30	4.50	2.25	8.10	3.00	**अन्य पिछड़ा वर्ग-8**
31	4.65	2.33	8.37	3.10	**ईडब्ल्यूएस-3**
32	4.80	2.40	8.64	3.20	अनारक्षित
33	4.95	2.48	8.91	3.30	अनारक्षित
34	5.10	2.55	9.18	3.40	अन्य पिछड़ा वर्ग-9
35	5.25	2.63	9.45	3.50	अनुसूचित जाति-5
36	5.40	2.70	9.72	3.60	अनारक्षित
37	5.55	2.78	9.99	3.70	अनारक्षित
38	5.70	2.85	10.26	3.80	अन्य पिछड़ा वर्ग-10
39	5.85	2.93	10.53	3.90	अनारक्षित
40	6.00	3.00	10.80	4.00	अनुसूचित जनजाति-3
41	6.15	3.08	11.07	4.10	अनुसूचित जाति-6
42	6.30	3.15	11.34	4.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-11
43	6.45	3.23	11.61	4.30	**ईडब्ल्यूएस-4**
44	6.60	3.30	11.88	4.40	अनारक्षित
45	6.75	3.38	12.15	4.50	अन्य पिछड़ा वर्ग-12
46	6.90	3.45	12.42	4.60	अनारक्षित
47	7.05	3.53	12.69	4.70	अनुसूचित जाति-7
48	7.20	3.60	12.96	4.80	अनारक्षित
49	7.35	3.68	13.23	4.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-13
50	7.50	3.75	13.50	5.00	**ईडब्ल्यूएस-5**
51	7.65	3.83	13.77	5.10	अनारक्षित
52	7.80	3.90	14.04	5.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-14
53	7.95	3.98	14.31	5.30	अनारक्षित
54	8.10	4.05	14.58	5.40	अनुसूचित जाति-8
55	8.25	4.13	14.85	5.50	अनुसूचित जनजाति-4
56	8.40	4.20	15.12	5.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-15
57	8.55	4.28	15.39	5.70	अनारक्षित
58	8.70	4.35	15.66	5.80	अनारक्षित
59	8.85	4.43	15.93	5.90	अनारक्षित
60	9.00	4.50	16.20	6.00	**अन्य पिछड़ा वर्ग-16**
61	9.15	4.58	16.47	6.10	**अनुसूचित जाति-9**
62	9.30	4.65	16.74	6.20	**ईडब्ल्यूएस-6**
63	9.45	4.73	17.01	6.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-17

64	9.60	4.80	17.28	6.40	अनारक्षित
65	9.75	4.88	17.55	6.50	अनारक्षित
66	9.90	4.95	17.82	6.60	अनारक्षित
67	10.05	5.03	18.09	6.70	अन्य पिछड़ा वर्ग-18
68	10.20	5.10	18.36	6.80	अनुसूचित जाति-10
69	10.35	5.18	18.63	6.90	अनुसूचित जनजाति-5
70	10.50	5.25	18.90	7.00	**ईडब्ल्यूएस-7**
71	10.65	5.33	19.17	7.10	अन्य पिछड़ा वर्ग-19
72	10.80	5.40	19.44	7.20	अनारक्षित
73	10.95	5.48	19.71	7.30	अनारक्षित
74	11.10	5.55	19.98	7.40	अनुसूचित जाति-11
75	11.25	5.63	20.25	7.50	अन्य पिछड़ा वर्ग-20
76	11.40	5.70	20.52	7.60	अनारक्षित
77	11.55	5.78	20.79	7.70	अनारक्षित
78	11.70	5.85	21.06	7.80	अन्य पिछड़ा वर्ग-21
79	11.85	5.93	21.33	7.90	अनारक्षित
80	12.00	6.00	21.60	8.00	अनुसूचित जनजाति-6
81	12.15	6.08	21.87	8.10	अनुसूचित जाति-12
82	12.30	6.15	22.14	8.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-22
83	12.45	6.23	22.41	8.30	**ईडब्ल्यूएस-8**
84	12.60	6.30	22.68	8.40	अनारक्षित
85	12.75	6.38	22.95	8.50	अनारक्षित
86	12.90	6.45	23.22	8.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-23
87	13.05	6.53	23.49	8.70	अनुसूचित जाति-13
88	13.20	6.60	23.76	8.80	अनारक्षित
89	13.35	6.68	24.03	8.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-24
90	13.50	6.75	24.30	9.00	**ईडब्ल्यूएस-9**
91	13.65	6.83	24.57	9.10	अनारक्षित
92	13.80	6.90	24.84	9.20	अनारक्षित
93	13.95	6.98	25.11	9.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-25
94	14.10	7.05	25.38	9.40	अनुसूचित जाति-14
95	14.25	7.13	25.65	9.50	अनुसूचित जनजाति-7
96	14.40	7.20	25.92	9.60	अनारक्षित
97	14.55	7.28	26.19	9.70	अन्य पिछड़ा वर्ग-26
98	14.70	7.35	26.46	9.80	**ईडब्ल्यूएस-10****

99	14.85	7.43	26.73	9.90	अनुसूचित जाति-15*
100	15.00	7.50	27.00	10.00	अन्य पिछड़ा वर्ग-27*
101	15.15	7.58	27.27	10.10	अनारक्षित
102	15.30	7.65	27.54	10.20	अनारक्षित
103	15.45	7.73	27.81	10.30	अनारक्षित
104	15.60	7.80	28.08	10.40	अन्य पिछड़ा वर्ग-28
105	15.75	7.88	28.35	10.50	अनारक्षित
106	15.90	7.95	28.62	10.60	अनारक्षित
107	16.05	8.03	28.89	10.70	अनुसूचित जाति-16
108	16.20	8.10	29.16	10.80	अनुसूचित जनजाति-8
109	16.35	8.18	29.43	10.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-29
110	16.50	8.25	29.70	11.00	**ईडब्ल्यूएस-11**
111	16.65	8.33	29.97	11.10	अनारक्षित
112	16.80	8.40	30.24	11.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-30
113	16.95	8.48	30.51	11.30	अनारक्षित
114	17.10	8.55	30.78	11.40	अनुसूचित जाति-17
115	17.25	8.63	31.05	11.50	अन्य पिछड़ा वर्ग-31
116	17.40	8.70	31.32	11.60	अनारक्षित
117	17.55	8.78	31.59	11.70	अनारक्षित
118	17.70	8.85	31.86	11.80	अनारक्षित
119	17.85	8.93	32.13	11.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-32
120	18.00	9.00	32.40	12.00	अनुसूचित जनजाति-9
121	18.15	9.08	32.67	12.10	अनुसूचित जाति-18
122	18.30	9.15	32.94	12.20	**ईडब्ल्यूएस-12**
123	18.45	9.23	33.21	12.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-33
124	18.60	9.30	33.48	12.40	अनारक्षित
125	18.75	9.38	33.75	12.50	अनारक्षित
126	18.90	9.45	34.02	12.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-34
127	19.05	9.53	34.29	12.70	अनुसूचित जाति-19
128	19.20	9.60	34.56	12.80	अनारक्षित
129	19.35	9.68	34.83	12.90	अनारक्षित
130	19.50	9.75	35.10	13.00	अन्य पिछड़ा वर्ग-35
131	19.65	9.83	35.37	13.10	**ईडब्ल्यूएस-13**
132	19.80	9.90	35.64	13.20	अनारक्षित
133	19.95	9.98	35.91	13.30	अनारक्षित

134	20.10	10.05	36.18	13.40	अन्य पिछड़ा वर्ग-36
135	20.25	10.13	36.45	13.50	अनुसूचित जाति-20
136	20.40	10.20	36.72	13.60	अनुसूचित जनजाति-10
137	20.55	10.28	36.99	13.70	अनारक्षित
138	20.70	10.35	37.26	13.80	अन्य पिछड़ा वर्ग-37
139	20.85	10.43	37.53	13.90	अनारक्षित
140	21.00	10.50	37.80	14.00	अनुसूचित जाति--21
141	21.15	10.58	38.07	14.10	अन्य पिछड़ा वर्ग-38
142	21.30	10.65	38.34	14.20	**ईडब्ल्यूएस-14**
143	21.45	10.73	38.61	14.30	अनारक्षित
144	21.60	10.80	38.88	14.40	अनारक्षित
145	21.75	10.88	39.15	14.50	अन्य पिछड़ा वर्ग-39
146	21.90	10.95	39.42	14.60	अनारक्षित
147	22.05	11.03	39.69	14.70	अनुसूचित जाति-22
148	22.20	11.10	39.96	14.80	अनुसूचित जनजाति-11
149	22.35	11.18	40.23	14.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-40
150	22.50	11.25	40.50	15.00	**ईडब्ल्यूएस-15**
151	22.65	11.33	40.77	15.10	अनारक्षित
152	22.80	11.40	41.04	15.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-41
153	22.95	11.48	41.31	15.30	अनारक्षित
154	23.10	11.55	41.58	15.40	अनुसूचित जाति-23
155	23.25	11.63	41.85	15.50	अनारक्षित
156	23.40	11.70	42.12	15.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-42
157	23.55	11.78	42.39	15.70	अनारक्षित
158	23.70	11.85	42.66	15.80	अनारक्षित
159	23.85	11.93	42.93	15.90	अनारक्षित
160	24.00	12.00	43.20	16.00	अनुसूचित जनजाति-12
161	24.15	12.08	43.47	16.10	अन्य पिछड़ा वर्ग-43
162	24.30	12.15	43.74	16.20	अनुसूचित जाति-24
163	24.45	12.23	44.01	16.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-44
164	24.60	12.30	44.28	16.40	**ईडब्ल्यूएस-16**
165	24.75	12.38	44.55	16.50	अनारक्षित
166	24.90	12.45	44.82	16.60	अनारक्षित
167	25.05	12.53	45.09	16.70	अन्य पिछड़ा वर्ग-45
168	25.20	12.60	45.36	16.80	अनुसूचित जाति-25

169	25.35	12.68	45.63	16.90	अनारक्षित
170	25.50	12.75	45.90	17.00	**ईडब्ल्यूएस-17**
171	25.65	12.83	46.17	17.10	अन्य पिछड़ा वर्ग-46
172	25.80	12.90	46.44	17.20	अनारक्षित
173	25.95	12.98	46.71	17.30	अनारक्षित
174	26.10	13.05	46.98	17.40	अनुसूचित जाति-26
175	26.25	13.13	47.25	17.50	अनुसूचित जनजाति-13
176	26.40	13.20	47.52	17.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-47
177	26.55	13.28	47.79	17.70	अनारक्षित
178	26.70	13.35	48.06	17.80	अन्य पिछड़ा वर्ग-48
179	26.85	13.43	48.33	17.90	अनारक्षित
180	27.00	13.50	48.60	18.00	अनुसूचित जाति-27
181	27.15	13.58	48.87	18.10	**ईडब्ल्यूएस-18**
182	27.30	13.65	49.14	18.20	अन्य पिछड़ा वर्ग-49
183	27.45	13.73	49.41	18.30	अनारक्षित
184	27.60	13.80	49.68	18.40	अनारक्षित
185	27.75	13.88	49.95	18.50	अनारक्षित
186	27.90	13.95	50.22	18.60	अन्य पिछड़ा वर्ग-50
187	28.05	14.03	50.49	18.70	अनुसूचित जाति-28
188	28.20	14.10	50.76	18.80	अनुसूचित जनजाति-14
189	28.35	14.18	51.03	18.90	अन्य पिछड़ा वर्ग-51
190	28.50	14.25	51.30	19.00	**ईडब्ल्यूएस-19**
191	28.65	14.33	51.57	19.10	अनारक्षित
192	28.80	14.40	51.84	19.20	अनारक्षित
193	28.95	14.48	52.11	19.30	अन्य पिछड़ा वर्ग-52
194	29.10	14.55	52.38	19.40	अनुसूचित जाति-29
195	29.25	14.63	52.65	19.50	अनारक्षित
196	29.40	14.70	52.92	19.60	**ईडब्ल्यूएस-20***
197	29.55	14.78	53.19	19.70	अन्य पिछड़ा वर्ग-53
198	29.70	14.85	53.46	19.80	अनुसूचित जनजाति-15*
199	29.85	14.93	53.73	19.90	अनुसूचित जाति-30*
200	30.00	15.00	54.00	20.00	अन्य पिछड़ा वर्ग-54*

*/** आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को बनाए रखने के मद्देनज़र स्क्वीजिंग का सहारा लिया गया।

अनकुलग्नक-III

खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती हेतु

13 पदों तक संवर्ग संख्या के लिए मॉडल रोस्टर

संवर्ग संख्या	प्रारंभिक भर्ती	प्रतिस्थापन सं.												
		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	छठा	सातवां	आठवां	नौवा	दसवां	ग्यारवां	बारहवां	तेरहवां
1	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.पि.व	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.
2	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.	
3	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.		
4	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.			
5	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.				
6	अनारक्षित	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.					
7	अ.ज.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.						
8	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.							
9	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.								
10	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.									
11	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.										
12	अ.पि.व.	अनारक्षित	अ.ज.जा.											
13	अनारक्षित	अ.ज.जा.												

टिप्पणी:

1. 2 से 13 तक के पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर को संवर्ग संख्या कॉलम के अधीन प्रविष्टि 1 से अंतिम पद तक तथा फिर क्षैतिज रूप से क्षैतिज पंक्ति अर्थात एल" के समान में अंतिम प्रविष्टि तक पढ़ा जाएगा।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक भर्ती कॉलम के अधीन दिखाई गई श्रेणियों के लिए निर्धारित करना होगा। जबकि प्रारंभिक रूप से निर्धारित श्रेणी द्वारा भरा जाएगा; संवर्ग में किसी पद का प्रतिस्थापन क्षैतिज रूप से दिखाए गए संवर्ग के अंतिम पद पर चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक- IV

सीधी भर्ती हेतु

खुली प्रतियोगिता के इतर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती हेतु पदों के संदर्भ में आरक्षण के लिए मॉडल रोस्टर

पद की क्र.सं.	हकदारी का हिस्सा				श्रेणी जिसके लिए पदों को निर्धारित करना चाहिए।
	अ.ज. @16.66%	अ.ज.जा. @7.5%	अ.पि.व. @25.84%	ई.डब्ल्यू.एस. @10%	
1	0.166	0.075	0.258	0.100	अनारक्षित
2	0.332	0.150	0.516	0.200	अनारक्षित
3	0.498	0.225	0.774	0.300	अनारक्षित
4	0.664	0.300	1.032	0.400	अ.पि.व.-1
5	0.830	0.375	1.290	0.500	अनारक्षित
6	0.996	0.450	1.548	0.600	अनारक्षित
7	1.162	0.525	1.806	0.700	अ.ज.-1
8	1.328	0.600	2.064	0.800	अ.पि.व.-2
9	1.494	0.675	2.322	0.900	अनारक्षित
10	1.660	0.750	2.580	1.000	**ई.डब्ल्यू.एस.-1**
11	1.826	0.825	2.838	1.100	अनारक्षित
12	1.992	0.900	3.096	1.200	अ.पि.व.-3
13	2.158	0.975	3.354	1.300	अ.ज.-2
14	2.324	1.050	3.612	1.400	अ.ज.जा.-1
15	2.490	1.125	3.870	1.500	अनारक्षित
16	2.656	1.200	4.128	1.600	अ.पि.व.-4
17	2.822	1.275	4.386	1.700	अनारक्षित
18	2.988	1.350	4.644	1.800	अनारक्षित
19	3.154	1.425	4.902	1.900	अ.ज.-3
20	3.320	1.500	5.160	2.000	अ.पि.व.-5
21	3.486	1.575	5.418	2.100	**ई.डब्ल्यू.एस.-2**
22	3.652	1.650	5.676	2.200	अनारक्षित
23	3.818	1.725	5.934	2.300	अनारक्षित
24	3.984	1.800	6.192	2.400	अ.पि.व.-6
25	4.150	1.875	6.450	2.500	अ.ज.-4
26	4.316	1.950	6.708	2.600	अनारक्षित
27	4.482	2.025	6.966	2.700	अ.ज.जा.-2
28	4.648	2.100	7.224	2.800	अ.पि.व.-7
29	4.814	2.175	7.482	2.900	अनारक्षित
30	4.980	2.250	7.740	3.000	**ई.डब्ल्यू.एस.-3**
31	5.146	2.325	7.998	3.100	अ.ज.-5
32	5.312	2.400	8.256	3.200	अ.पि.व.-8

33	5.478	2.475	8.514	3.300	अनारक्षित
34	5.644	2.550	8.772	3.400	अनारक्षित
35	5.810	2.625	9.030	3.500	अ.पि.व.-9
36	5.976	2.700	9.288	3.600	अनारक्षित
37	6.142	2.775	9.546	3.700	अ.ज.-6
38	6.308	2.850	9.804	3.800	अनारक्षित
39	6.474	2.925	10.062	3.900	अ.पि.व.-10
40	6.640	3.000	10.320	4.000	अ.ज.जा.-3
41	6.806	3.075	10.578	4.100	**ई.डब्ल्यू.एस.-4**
42	6.972	3.150	10.836	4.200	अनारक्षित
43	7.138	3.225	11.094	4.300	अ.ज.-7
44	7.304	3.300	11.352	4.400	अ.पि.व.-11
45	7.470	3.375	11.610	4.500	अनारक्षित
46	7.636	3.450	11.868	4.600	अनारक्षित
47	7.802	3.525	12.126	4.700	अ.पि.व.-12
48	7.968	3.600	12.384	4.800	अनारक्षित
49	8.134	3.675	12.642	4.900	अ.ज.-8
50	8.300	3.750	12.900	5.000	**ई.डब्ल्यू.एस.-5**
51	8.466	3.825	13.158	5.100	अ.पि.व.-13
52	8.632	3.900	13.416	5.200	अनारक्षित
53	8.798	3.975	13.674	5.300	अनारक्षित
54	8.964	4.050	13.932	5.400	अ.ज.जा.-4
55	9.130	4.125	14.190	5.500	अ.पि.व.-14
56	9.296	4.200	14.448	5.600	अ.ज.-9
57	9.462	4.275	14.706	5.700	अनारक्षित
58	9.628	4.350	14.964	5.800	अनारक्षित
59	9.794	4.425	15.222	5.900	अ.पि.व.-15
60	9.960	4.500	15.480	6.000	**ई.डब्ल्यू.एस.-6**
61	10.126	4.575	15.738	6.100	अ.ज.-10
62	10.292	4.650	15.996	6.200	अनारक्षित
63	10.458	4.725	16.254	6.300	अ.पि.व.-16
64	10.624	4.800	16.512	6.400	अनारक्षित
65	10.790	4.875	16.770	6.500	अनारक्षित
66	10.956	4.950	17.028	6.600	अ.पि.व.-17
67	11.122	5.025	17.286	6.700	अ.ज.-11
68	11.288	5.100	17.544	6.800	अ.ज.जा.-5
69	11.454	5.175	17.802	6.900	अनारक्षित
70	11.620	5.250	18.060	7.000	अ.पि.व.-18
71	11.786	5.325	18.318	7.100	**ई.डब्ल्यू.एस.-7**
72	11.952	5.400	18.576	7.200	अनारक्षित

73	12.118	5.475	18.834		7.300	अ.ज.-12
74	12.284	5.550	19.092		7.400	अ.पि.व.-19
75	12.450	5.625	19.350		7.500	अनारक्षित
76	12.616	5.700	19.608		7.600	अनारक्षित
77	12.782	5.775	19.866		7.700	अनारक्षित
78	12.948	5.850	20.124		7.800	अ.पि.व.-20
79	13.114	5.925	20.382		7.900	अ.ज.-13
80	13.280	6.000	20.640		8.000	अ.ज.जा.-6
81	13.446	6.075	20.898		8.100	**ई.डब्ल्यू.एस.-8**
82	13.612	6.150	21.156		8.200	अ.पि.व.-21
83	13.778	6.225	21.414		8.300	अनारक्षित
84	13.944	6.300	21.672		8.400	अनारक्षित
85	14.110	6.375	21.930		8.500	अ.ज.-14
86	14.276	6.450	22.188		8.600	अ.पि.व.-22
87	14.442	6.525	22.446		8.700	अनारक्षित
88	14.608	6.600	22.704		8.800	अनारक्षित
89	14.774	6.675	22.962		8.900	अनारक्षित
90	14.940	6.750	23.220		9.000	अ.पि.व.-23
91	15.106	6.825	23.478		9.100	अ.ज.-15
92	15.272	6.900	23.736		9.200	**ई.डब्ल्यू.एस.-9**
93	15.438	6.975	23.994		9.300	अनारक्षित
94	15.604	7.050	24.252		9.400	अ.पि.व.-24
95	15.770	7.125	24.510		9.500	अ.ज.जा.-7
96	15.936	7.200	24.768		9.600	अनारक्षित
97	16.102	7.275	25.026		9.700	अ.ज.-16
98	16.268	7.350	25.284		9.800	अ.पि.व.-25
99	16.434	7.425	25.542		9.900	अनारक्षित
100	16.600	7.500	25.800		10.000	**ई.डब्ल्यू.एस.-10**
101	16.766	7.575	26.058		10.100	अ.पि.व.-26
102	16.932	7.650	26.316		10.200	अनारक्षित
103	17.098	7.725	26.574		10.300	अ.ज.-17
104	17.264	7.800	26.832		10.400	अनारक्षित
105	17.430	7.875	27.090		10.500	अ.पि.व.-27
106	17.596	7.950	27.348		10.600	अनारक्षित
107	17.762	8.025	27.606		10.700	अ.ज.जा.-8
108	17.928	8.100	27.864		10.800	अनारक्षित
109	18.094	8.175	28.122		10.900	अ.पि.व.-28
110	18.260	8.250	28.380		11.000	अ.ज.-18
111	18.426	8.325	28.638		11.100	**ई.डब्ल्यू.एस.-11**
112	18.592	8.400	28.896		11.200	अनारक्षित

113	18.758	8.475	29.154	11.300	अ.पि.व.-29
114	18.924	8.550	29.412	11.400	अनारक्षित
115	19.090	8.625	29.670	11.500	अ.ज.-19
116	19.256	8.700	29.928	11.600	**ई.डब्ल्यू.एस.-12****
117	19.422	8.775	30.186	11.700	अ.पि.व.-30
118	19.588	8.850	30.444	11.800	अ.ज.जा.-9
119	19.754	8.925	30.702	11.900	अ.ज.--20*
120	19.920	9.000	30.960	12.000	अ.पि.व.-31*

*/** आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को बनाए रखने के मद्देनज़र स्क्वीजिंग का सहारा लिया गया।

खुली प्रतियोगिता द्वारा

13 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए खुली प्रतियोगिता के आलावा सीधी भर्ती हेतु रोस्टर

संवर्ग संख्या	प्रारंभिक भर्ती	प्रतिस्थापन सं.												
		पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	छठा	सातवां	आठवां	नौंवा	दसवां	ग्यारवां	बारहवां	तेरहवां
1	अनारक्षित	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.पि.व	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.
2	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	
3	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.		
4	अ.पि.व.	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.			
5	अनारक्षित	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.				
6	अनारक्षित	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.					
7	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.						
8	अ.पि.व.	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.							
9	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.								
10	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.									
11	अनारक्षित	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.										
12	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.											
13	अ.जा.	अ.ज.जा.												

टिप्पणी:

1. 2 से 13 तक के पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर को संवर्ग संख्या कॉलम के अधीन प्रविष्टि 1 से अंतिम पद तक तथा फिर क्षैतिज रूप से क्षैतिज पंक्ति अर्थात एल" के समान में अंतिम प्रविष्टि तक पढ़ा जाएगा।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक भर्ती कॉलम के अधीन दिखाई गई श्रेणियों के लिए निर्धारित करना होगा। जबकि प्रारंभिक रूप से निर्धारित श्रेणी द्वारा भरा जाएगा; संवर्ग में किसी पद का प्रतिस्थापन क्षैतिज रूप से दिखाए गए संवर्ग के अंतिम पद पर चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा।

अनुलग्नक-VI

मंत्रालय/विभाग का नाम:

पखवाड़े के अंत में की जाने वाली रिपोर्ट	दिनांक 01.02.2019 को भरी न गई रिक्तियां					पखवाड़े के दौरान भरी गई रिक्तियां					दिनांक 01.02.2019 से भरी गई कुल रिक्तियां				
	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित	अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	अनारक्षित

टिप्पणी 1: मंत्रालय/विभाग और उसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में एक समेकित पाक्षिक रिपोर्ट भेजी जाए।

टिप्पणी 2: प्रथम रिपोर्ट दिनांक 15.02.2019 से शुरू की जाए।

टिप्पणी 3: भरी गई पाक्षिक रिपोर्ट jsest@nic.in और g.sreenivasan@nic.in पर ईमेल की जाए।